<u>न्यायालय :–विशेष न्यायाधीश एस.सी. / एस.टी.(पी.ए.)एक्ट,</u>

<u>सतना (म0प्र0)</u>

एफ.एन.एस.सी.ए.टी.आर. / 4719 / 2025

सी.एन..आर. एम.पी.19010070512025

एस.सी.ए.टी.आर.95 / 2025

आई.ए.नं. 1 / 2025

शासन बनाम दिवाकर तिवारी वगैरह

16.07.2025

आरक्षी केन्द्र **मैहर,** जिला मैहर से अपराध क्रमांक–**295 / 2025**, धारा– 296, 115(2), 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा– 3(1)(द), 3(1)(ध) व 3(2)(v-a) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का अभियोजन अभियुक्तः–

1. **दिवाकर तिवारी तनय श्री छोटेलाल तिवारी, उम्र 25 वर्ष।**
2. **शुभम परौहा तनय श्री चन्द्रलाल परौहा, उम्र 20 वर्ष।**

   दोनों निवासी कोतवाली के पीछे नागौद, हाल सरलानगर मैहर, जिला मैहर (म0प्र0)
3. **अरूण सिंह उर्फ अन्नू तनय श्री राजभान सिंह, उम्र 23 वर्ष।** निवासी गढ़ौली, थाना नागौद, हाल सरलानगर, थाना मैहर, जिला मैहर (म.प्र.)

के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभिलेख देखा गया। विचार किया गया।

अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में उपबंधित अपराध का संज्ञान लिया जाता है। प्रकरण विधिवत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की पंजी में व सी.आई.एस. में दर्ज किया जाये।

राज्य द्वारा लोक अभियोजक श्री रमेश मिश्रा उपस्थित।

अभियुक्तगण धारा 41–क द.प्र.सं. की सूचना पर आज स्वयं उपस्थित है। उन्हें अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्तगण को अभियोग पत्र की प्रति प्रदान कर पावती ली जावे।

रिमाण्ड से संबंधित कोई कार्यवाही की पत्रावली नहीं है। जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री मयंक देव सिंह परिहार ने वकालतनामा पेश किया गया। अभिलेख में

संलग्न किया जावे।

अभियुक्तगण का जेल वारंट बनाया जाकर जेल भेजा जावे।

फरियादी पवन कुमार बुनकर शारदा प्रसाद कोल सूचना तामील उपरांत अनुपस्थित।

अभियुक्तगण की ओर से धारा– 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का जमानत आवेदन पेश किया गया।

प्रकरण जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु कुछ समय पश्चात पेश हो।

(प्रशांत कुमार निगम)
विशेष न्यायाधीश
एस.सी.एस.टी. (पी.ए.) एक्ट
सतना (म0प्र0)

पुनश्च :

राज्य की ओर से लोक अभियोजक श्री रमेश मिश्रा उपस्थित।

अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री मयंक देव सिंह परिहार उपस्थित।

फरियादी शारदा प्रसाद कोल सूचना तामील उपरांत अनुपस्थित।

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा– 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर सुना गया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन एवं विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क के अनुसार धारा– 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन न तो माननीय उच्च न्यायालय में और न ही माननीय सत्र न्यायालय में लंबित है और न ही निराकृत हुआ है। आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है। आवेदन में यह भी उल्लिखित किया गया है कि आवेदकगण ने फरियादी के साथ कोई गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी नहीं दिया और न ही जातिगत रूप से अपमानित किया है। शासन से मिलने वाली राशि को प्राप्त करने के लिए आवेदकगण को झूंठा फंसाया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण जिला मैहर के स्थानीय निवासी हैं। आवेदकगण जमानत की सभी शर्तो का पालन करेंगे। अतः आवेदकगण

को जमानत मुचलके पर रिहा किया जावे।

उक्त आवेदन के समर्थन में विश्वनाथ दाहिया का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन द्वारा अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा तर्कों पर विचार किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आरक्षी केन्द्र मैहर, जिला मैहर में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक– **295/2025**, धारा– 296, 115(2), 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा– 3(1)(द), 3(1)(ध) व 3(2)(v-a) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र में उल्लिखित घटना अनुसार थाना मैहर में फरियादी शारदा प्रसाद कोल ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराया कि वह दिनांक 14.032025 को शिव कालोनी में अपनी दोस्त से बातचीत कर रहा था, तभी अभियुक्त दिवाकर तिवारी अपने अन्य साथी अभियुक्त शुभम परौहा एवं अन्नू सिंह के साथ आया और फरियादी से खर्चा करने के लिए बोलने लगा तो फरियादी ने मना कर दिया तब अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ गाली गलौज एवं मारपीट किया, तो जगन केवट एवं विजय रजक ने बीच बचाव किया तो अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये।

अभियुक्तगण द्वारा कारित दर्शाया अपराध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा दर्शाये अपराध सात वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डनीय नहीं हैं। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया था। अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति के भी होना दर्शित नहीं हैं। प्रकरण के निराकरण में समय लगेगा। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को विचार में रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत का लाभ देना उचित पाती है।

अतः अभियुक्तगण का धारा– 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त की ओर से 25,000/–(पचीस हजार) रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र न्यायालय में नियमित उपस्थिति व साक्षियों को

प्रभावित न करने की शर्त के साथ पेश करे तो अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण जमानत मुचलका प्रस्तुति/आरोप तर्क हेतु दिनांक 20.08.2025 को पेश हो।

(प्रशांत कुमार निगम)
विशेष न्यायाधीश
एस.सी.एस.टी. (पी.ए.) एक्ट
सतना(म0प्र0)

PRASHANT KUMAR NIGAM

Digitally signed by PRASHANT KUMAR NIGAM
Date: 2025.07.16 17:20:21 +0530